3– किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

4– प्रतिमाह के अन्त में हुए व्यय विवरण बी0एम0–13 पर नियमित रूप से शासन को आगामी माह के विलम्बतम 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा।

5– व्यय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमों व तद्विषयक शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6– व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में हाने वाला व्यय अनुदान संख्या–25 के अधीन लेखाशीर्षक–4408– खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय–01 खाद्य–800–अन्य व्यय–04 आयुक्त खाद्य भवन का निर्माण–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8– खाद्यायुक्त कार्यालय भवन के निर्माण हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि एवं पूर्व में स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुये कुल रू0–68828 हजार (रू0–छः करोड़ अठ्ासी लाख अठ्ाईस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत हो जायेगी।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–347 मतदेय/XXVII(5)/2017-18, दिनांक–28.03.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–444 /XIX-1/18–87/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4– समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6– मुख्य महा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, पटेल नगर, देहरादून।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।